सुरक्षति डजिटिल कनेक्टविटिी हेतु सुधार

प्रलिम्सि के लयि:

सुरक्षति डजिटिल कनेक्टविटिी हेतु सुधार, डजिटिल पारस्थितिकिी तंत्र, नो योर कस्टमर, प्वाइंट ऑफ सेल, वशि्व दूरसंचार दविस

मेन्स के लयि:

सुरक्षति डजिटिल कनेक्टविटिी हेतु सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **स्वच्छ और सुरक्षति** डजिटिल पारस्थितिकिी तंत्र को बढ़ावा देने के लयि मोबाइल उपयोगकर्ता सुरक्षा हेतु दो सुधार पेश कयि गए हैं।

- ये दोनों सुधार **KYC (अपने ग्राहक को जानें/नो योर कस्टमर)** और **प्वाइंट ऑफ सेल पंजीकरण** से संबंधति हैं। ये सुधार नागरकि-केंद्रति पोर्टल **संचार साथी** (साइबर अपराध एवं वत्तिीय धोखाधड़ी के खतरे के खलािफ भारत को सशक्त बनाने हेतु शुरू की गई पहल) के लॉन्च के साथ शुरू कयि गए पहले के सुधारों की दशिा में अगला पड़ाव है।

कयि गए सुधार:

- **KYC सुधार:** ये सुधार दूरसंचार सेवाओं के ग्राहकों को संभावति धोखाधड़ी से बचाने और डजिटिल पारस्थितिकिी तंत्र में जनता के वशि्वास में वृद्धि करने में प्रमुख भूमिका नभिाते हैं।
  - **आधार संख्या की QR कोड स्कैनगि:** KYC प्रक्रयिा के दौरान प्राप्त डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लयि मुद्रति आधार के QR कोड को स्कैन करके जनसांख्यकिीय जानकारी एकत्र की जाती है।
  - **बंद मोबाइल नंबर के तत्काल पुन: उपयोग पर रोक:** मोबाइल नंबर बंद कयि जाने की अवधि से 90 दनिों तक यह नंबर नए ग्राहकों को आवंटति नहीं कयिा जाएगा, इससे कसिी भी नंबर के तत्काल पुन: उपयोग को रोका जा सकेगा।
  - **समि रपि्लेसमेंट/बदलने के लयि KYC की अनवािर्यता:** सब्सक्राइबर्स को अपना समि कार्ड बदलते समय KYC पूरा करना अनवािर्य होगा।
  - **बायोमेट्रकि प्रमाणीकरण:** अँगूठे के नशािन और आईरसि-आधारति प्रमाणीकरण के अलावा आधार E-KYC में चेहरे-आधारति बायोमेट्रकि प्रमाणीकरण की अनुमति है।
  - **व्यावसायकि कनेक्शन:** कंपनयिाँ, संगठन, ट्रस्ट और सोसायटी जैसी संस्थाएँ आदि सभी अंतमि उपयोगकर्ता KYC पूरा करने के बाद ही मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। सफल KYC और इकाई के भौतकि सत्यापन के बाद ही समि को चालू/सक्रयि (Activation) कयिा जाया है।
- **प्वाइंट-ऑफ-सेल (POS) पंजीकरण सुधार: इस सुधार का उद्देश्य फ्रेंचाइज़ी, एजेंटों और वतिरकों (PoS) को अनवािर्य रूप से पंजीकृत करके वतिरण नेटवर्क की सत्यनष्ठिा सुनश्चिति करना है।**
  - इस प्रक्रयिा में PoS और लाइसेंसधारयिों के बीच **मज़बूत सत्यापन एवं लखिति समझौते** शामलि हैं। **अवैध गतविधियिों** में लप्ति कसिी भी PoS की सेवा **को समाप्त कर तीन वर्ष के लयि ब्लैकलस्टि में शामलि कर दयिा जाएगा।**

संचार साथी पोर्टल:

- **परचिय:**
  - **दूरसंचार वभिाग (Department of Telecommunications- DoT)** के तहत **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटक्सि (Centre for Development of Telematics- C-DOT)** द्वारा वकिसति संचार साथी पोर्टल, भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांतकिारी कदम है।
  - इसे वशि्व दूरसंचार दविस **[World Telecommunication Day (17 मई, 2023)]** पर लॉन्च कयिा गया था।
- **उद्देश्य:**

- संचार साथी पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य दूरसंचार उद्योग में प्रचलित विभिन्न धोखाधड़ी की गतिविधियों, जैसे **आइडेंटिटी थेफ्ट, जाली KYC और बैंकिंग फ्रॉड** को संबोधित करना है।
    - उन्नत प्रौद्योगिकियों और रूपरेखाओं का लाभ उठाकर, इस पोर्टल का लक्ष्य उपयोगकर्त्ताओं को एक सुरक्षित तथा भरोसेमंद दूरसंचार का अनुभव प्रदान करना है।

- **सुधार:**
    - **CEIR (केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर):**
        - **इसे चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने** के लिये लागू किया गया।
        - उपयोगकर्त्ता चोरी हुए उपकरणों के सत्यापन और उन्हें ब्लॉक करने के लिये पुलिस शिकायत की एक प्रति के साथ **IMEI नंबर** जमा कर सकते हैं।
        - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एकीकृत किया गया।
        - यह **चोरी हुए उपकरणों के भारतीय नेटवर्क में प्रयोग को रोकता** है तथा आवश्यकता पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से पता लगाने की अनुमति देता है।
    - **अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें:**
        - यह उपयोगकर्त्ताओं को उनके नाम पर **पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन की जाँच करने** की अनुमति देता है।
        - अनधिकृत या **कपटपूर्ण कनेक्शनों की पहचान करने में सक्षम** बनाता है।
        - उपयोगकर्त्ता धोखाधड़ी या अनधिकृत कनेक्शन की रिपोर्ट किये जाने की स्थिति में उक्त कनेक्शन को **पुन: सत्यापित या बंद** किया जा सकता है।
    - **ASTR (**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **और** फेशियल रिकग्निशन **पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन):**
        - इसे **कपटपूर्ण या ज़ाली दस्तावेज़ों का उपयोग करके कनेक्शन प्राप्त करने वाले ग्राहकों की पहचान करने** के लिये विकसित किया गया।
        - यह **चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण** तकनीकों का उपयोग करता है।
        - **कागज़ आधारित KYC दस्तावेज़ों के माध्यम से प्राप्त कनेक्शनों** का विश्लेषण करता है।

- **प्रभाव:**
    - इसके तहत 40 लाख से अधिक फर्ज़ी कनेक्शनों की पहचान की गई, साथ ही पोर्टल का उपयोग करके 36 लाख से अधिक कनेक्शन समाप्त कर दिये गए।
    - यह उपयोगकर्त्ताओं को एक सुरक्षित और भरोसेमंद दूरसंचार का अनुभव प्रदान करता है।
    - यह पहचान की चोरी, जाली KYC, मोबाइल उपकरण की चोरी और बैंकिंग धोखाधड़ी से सुरक्षा करता है।

निष्कर्ष:

- व्यापक सुधारों की शुरुआत कर और **'संचार साथी' पोर्टल तथा ASTR** जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके विभाग ने धोखाधड़ी की गतिविधियों की प्रभावी ढंग से पहचान की है एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
- यह दृष्टिकोण सभी नागरिकों को एक सुरक्षित और विश्वसनीय संचार वातावरण प्रदान करने के सरकार के मिशन के अनुरूप है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reforms-for-secure-digital-connectivity